भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4981
दिनांक 23 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

दवा कंपनियों द्वारा अधिक मूल्य वसूलना

4981. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:
श्री गिरीश भालचन्द्र बापट:
श्रीमती संगीत कुमारी सिंह देव:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिन्दे:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई दवा कंपनियां उपभोक्ताओं को मनमाने और निर्धारित मूल्यों/अधिकतम खुदरा मूल्यों की तुलना में मनमाने मूल्य/उच्च कीमत पर दवाएं बेच रही हैं;
(ख) यदि हां, क्या सरकार का उनके द्वारा वसूली गई अत्यधिक राशि को शास्ति सहित वसूल करने का विचार है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी कंपनियों से शास्ति सहित वसूली की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति क्या है;
(घ) उपभोक्ताओं को हुई हानि का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा;
(ङ) क्या सरकार दवा क्षेत्र द्वारा मनमाने लाभ अर्जन को रोकने के लिए दवा उत्पादों पर उत्पादन लागत और लाभ मार्जिन को मुद्रित करने पर विचार कर रही है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>
<u>रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री डी.वी. सदानंद गौडा)</u>

(क), (ख) एवं (ग): राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) के ध्यान में कई दृष्टांत आएं हैं जहां कुछ औषध कंपनियों को औषध (मूल्य नियंत्रण), 2013 (डीपीसीओ) के प्रावधानों के अंतर्गत

अनुमत्य मूल्य से अधिक मूल्य पर उपभोगताओं को दवाइयां बेचते हुए पाया गया है। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) औषध कम्पनियों द्वारा अधिप्रभार की जांच करने के लिए अनुसूचित दवाइयों (डीपीसीओ की अनुसूची में सूचीबद्ध) तथा गैर-अनुसूचित सम्मिश्रणों के मूल्यों की नियमित रूप से निगरानी करता है। जब कभी भी एनपीपीए द्वारा कोई कंपनी अधिसूचित अधिकतम मूल्य से अधिक मूल्य पर उक्त किसी अनुसूचित सम्मिश्रणों के मूल्य को वसूलती पाई जाती है अथवा पिछले 12 महीनों के दौरान किसी गैर-अनुसूचित दवाई के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को इसके अधिकतम खुदरा मूल्य के 10 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि किया हुआ पाया जाता है तो डीपीसीओ के प्रावधानों और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7क के अनुसार संबंधित कंपनी से ब्याज सहित अधिप्रभार की धनराशि वसूल करने के लिए एनपीपीए द्वारा कार्रवाई की जाती है।

अगस्त, 1997 में एनपीपीए की शुरूआत से जून, 2019 तक, एनपीपीए द्वारा दवाइयों के लिए अधिसूचित अधिकतम मूल्य से अधिक मूल्यों पर सम्मिश्रणों की बिक्री कर रोगियों से अधिक वसूली के लिए औषध कम्पनियों को 2038 मांग नोटिस जारी किए गए हैं। ये मांग नोटिस कुल 6370.20 करोड़ रुपए की राशि के लिए जारी किए गए हैं, जिनमें से औषध कम्पनियों से 893.34 करोड़ रुपए की राशि वसूल की गई है। विभिन्न न्यायालयों में 4032.55 करोड़ रूपए की धनराशि मुकदमेबाजी के अधीन है। अधिप्रभार मामलों, जहां मांग नोटिस जारी किए गए हैं, की विस्तृत सूची एनपीपीए की वेबसाइट www.nppaindia.nic.in पर उपलब्ध है।

(घ): वर्तमान में अधिप्रभारित धनराशि के लिए उपभोक्ताओं की क्षतिपूर्ति के लिए कोई तंत्र नहीं है।

(ङ) और (च): जी, नहीं। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण नीति, 2012 में औषध कंपनियों द्वारा अर्जित किए जाने वाले लाभों को नियंत्रित करने के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं है।

*****